

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-346 / 2013
 संस्थित दिनांक-29.04.2013
 फाइलिंग क्र.234503002772013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

डालचंद पिता बुद्धनलाल नागेश्वर, उम्र-50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम कनई, थाना परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-08/11/2016 को घोषित)

1- आरोपी डालचंद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 50(ख)/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.03.2013 को शाम के करीब 07:30 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पोण्डी से 1 कि.मी. राजेन्द्र महाराज के खेत के पास, पी.डब्ल्यू.डी. रोड में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक धर्मेन्द्र कावरे की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती, उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बिना बीमा के चलाया, उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता कार्तिकराम ने दिनांक-19.09.2013 को पुलिस थाना परसवाड़ा में यह सूचना दी कि दिनांक-18.03.2013 को उसे लोकेश पांजरे ने दूरभाष पर यह सूचना दी कि आरोपी डालचंद ने मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर सड़क के किनारे बैठे धर्मेन्द्र को टक्कर मार दी। आहत धर्मेन्द्र को परसवाड़ा ईलाज के लिए लाया गया और इसके पश्चात् उसे ईलाज के लिए बालाघाट अस्पताल ले जाया गया। बालाघाट में उपस्थित डॉक्टर लोकरे ने धर्मेन्द्र की मृत्यु हो जाना बताया। रात्रि अधिक हो जाने से तत्काल घटना की रिपोर्ट नहीं की गई। सूचनाकर्ता की उपरोक्त सूचना के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-10/2013, अंतर्गत धारा-279, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा घटना के समय वाहन को बिना लायसेंस व बिना बीमा एवं वाहन के अंतरिति होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं करने से अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192(1), 50(क)/177, 50(ख)/177 का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी डालचंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 50(ख)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी डालचंद ने दिनांक-18.03.2013 को शाम के करीब 07:30 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पोण्डी से 1 कि.मी. राजेन्द्र महाराज के खेत के पास, पी.डब्ल्यू.डी. रोड में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2— क्या आरोपी डालचंद ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक धर्मेन्द्र कावरे की मृत्यु ऐसी कारित की ?

3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बिना बीमा के चलाया ?

4— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कार्तिकराम अ.सा.1 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी डालचंद को जानता है। मृतक धर्मेन्द्र उसका पुत्र था। घटना दिनांक-18.03.2013 की है। उसे लोकेश पांजरे ने फोन करके बताया था कि मोटरसाईकिल वाले ने धर्मेन्द्र को टक्कर मार दी है। वह धर्मेन्द्र को ईलाज हेतु बालाघाट

अस्पताल लेकर गया था, जहां डॉक्टर ने उसकी मृत्यु हो जाना बताया था, उसने धर्मेन्द्र की मृत्यु की सूचना पुलिस थाना परसवाड़ा में अगले दिन दी थी। पुलिस ने मार्ग प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना किस वाहन से हुई थी, यह बात उसने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट में नहीं बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौकानक्शा जब पुलिस को बताया था, तब वह मौके पर नहीं गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी आरोपी से राजीनामा की बात चल रही है।

6— झनकलाल अ.सा.4 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह मृतक धर्मेन्द्र को भी पहचानता है। घटना उसके बयान देने के 2 वर्ष पूर्व शाम 7-7:30 बजे की है। उसे जानकारी हुई थी कि धर्मेन्द्र की मोटरसाइकिल से मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के समय वह उपस्थित नहीं था। उसने पंचायतनामा तथा नक्शापंचायतनामा प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर किये थे।

7— जुगलकिशोर अ.सा.5 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-6 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 जप्त की थी।

8— पिलंतीबाई अ.सा.6 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानती। मृतक धर्मेन्द्र उसका पुत्र था। घटना लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व की है। उसे रात्रि 8:00 बजे जानकारी हुई कि धर्मेन्द्र की दुर्घटना हुई है। धर्मेन्द्र अपने मित्रों के साथ रोड के एक तरफ पटरी पर बैठा था तब मोटरसाइकिल चालक ने धर्मेन्द्र को टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में यह बात बताई थी कि मृतक धर्मेन्द्र रोड के साइड में पटरी पर बैठा था।

9— खेमकरण अ.सा.10 ने अपने कथन में कहा है कि घटना दो वर्ष पूर्व की है। वह अपने खेत पर काम कर रहा था, तब उसे रात्रि 8:00 बजे दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। अगले दिन उसे पता चला था कि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया

कि वाहन चालक ने अपना नाम डालचंद गढ़वाल बताया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-10 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

10- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी लोकेश अ.सा.11 ने कहा कि वह आरोपी डालचंद को जानता है। घटना उसके बयान देने के 4 वर्ष पूर्व 7:30 बजे की है। उसे दुर्घटना होने की आवाज आई तब वह मौके पर पहुंचा था। मृतक धर्मेन्द्र सड़क पर पड़ा था। दुर्घटना कैसे हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 से हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी डालचंद से ही दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी डालचंद ने उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह खेत की रखवाली कर रहा था, जबकि मृतक धर्मेन्द्र सड़क पर बैठा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी दुर्घटना के समय वाहन तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था।

11- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुभाष अ.सा.9 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-19.03.2013 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर थाना परसवाड़ा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को कार्तिकराम की मौखिक सूचना पर मृतक धर्मेन्द्र की मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्रदर्शपी-1 तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी-2 क्रमांक-10/13 अंतर्गत धारा-279, 304ए भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर मृतक धर्मेन्द्र की मृत्यु बाबद् पंचायतनामा प्रदर्शपी4 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही पंचों के समक्ष की गई थी, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी कार्तिकराम की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक के शव को पी.एम. हेतु शासकीय अस्पताल परसवाड़ा भेजा था। दिनांक-19.03.2013 को प्रार्थी कार्तिकराम, खेमकरण, रनमत, विलन्तीबाई, लोकेश, राजा के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। आरोपी डालचंद के द्वारा वाहन क्रमांक-एम.पी-50-एम.ए-4121 को खरीदने बाबद् और नाम ट्रांसफर कराने बाबद् जानकारी मांगी गई थी, जिस पर उसने अपने कथन में लक्ष्मी गौतम निवासी खरपड़िया से खरीदना बताया एवं नाम ट्रान्सफर नहीं करवाना बताया था। आरोपी का कथन प्रदर्श पी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-20.03.2013 को आरोपी डालचंद से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम. पी-50/एम.ए-4121 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को साक्षियों के

समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाकर चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 के विषय में उसने जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-6 अनुसार नहीं की है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि प्रदर्श पी-7 अनुसार उसने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था।

12— अभियोजन साक्षी कार्तिकराम अ.सा.1 ने कहा है कि उसे लोकेश ने दूरभाष पर दुर्घटना के विषय में बताया था। साक्षी झनकलाल अ.सा.4 ने कहा है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। साक्षी पिलंतीबाई अ.सा.6 ने यह कहा है कि उसे जानकारी हुई थी कि उसके पुत्र धर्मेन्द्र की दुर्घटना हुई थी, जो सड़क की पटरी पर बैठा था। साक्षी खेलेन्द्रचंद अ.सा.7 के द्वारा वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 का मैकेनिकल परीक्षण नहीं किया जाना व्यक्त किया गया। साक्षी खेमकरण अ.सा.10 तथा लोकेश अ.सा.11 ने यह कहा है कि घटना के समय वह खेत में काम कर रहा था, जबकि साक्षी खेमकरण अ.सा.10 ने कहा था कि वह दुर्घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से ऐसी किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, जिसने स्वयं यह दुर्घटना होती हुई देखी हो। उपरोक्त साक्षियों के कथनों से आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से वाहन चलाया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-

13— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कार्तिकराम अ.सा.1 ने कहा है कि उसके पुत्र की दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वह अपने पुत्र को ईलाज हेतु बालाघाट लेकर गया था, जहां उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए उसने प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में दुर्घटना के अगले दिन लेख कराई थी। पुलिस ने मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी सुरेश अ.सा.2 ने कहा है कि पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 एवं पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही के समय वह उपस्थित था और उसने उपरोक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन साक्षी सरवन अ.सा.3 ने कहा है कि दिनांक-19.03.2011 को मृतक धर्मेन्द्र का का शव पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 उसमें समक्ष तैयार किया

गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी झनकलाल अ.सा. 4 ने भी पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही का समर्थन कर यह कहा है कि उसने पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 तथा शव पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन साक्षी पिलंतीबाई अ.सा.6 ने दुर्घटना में उसके पुत्र धर्मेन्द्र की मृत्यु होने के कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में किये हैं।

14— डॉ. हरीश मसराम अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-19.03.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना परसवाड़ा के आरक्षक क्रमांक-427 के द्वारा मृतक धर्मेन्द्र पिता कार्तिकराम, उम्र-14 वर्ष, निवासी-ग्राम पोंडी, थाना परसवाड़ा को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने हाथ की कलाई पर एक खरोंच पाई थी। साक्षी ने आहत का परीक्षण कर अपने अभिमत में कहा है कि मृतक की मृत्यु का कारण शॉक था, जो अत्यधिक आंतरिक खून बहने व वाइटल आर्गन्स की चोट की वजह से हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण करने के 24 घंटे के भीतर हुई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— अभियोजन साक्षी सुभाषसिंह अ.सा.9 ने कहा है कि विवेचना में की गई कार्यवाही के विषय में अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि उसने मृतक के शव को परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल परसवाड़ा भेजा था। बचाव पक्ष का यह आधार नहीं है कि दुर्घटना में मृतक धर्मेन्द्र की मृत्यु नहीं हुई थी। उपरोक्त साक्षी ने मृतक धर्मेन्द्र की दुर्घटना में दिनांक-18.03.2013 को मृत्यु होना प्रकट हो रहा है, परंतु यह दुर्घटना आरोपी द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक से वाहन चलाकर मृतक धर्मेन्द्र को टक्कर मारने से हुई थी, यह बात प्रमाणित नहीं हो रही है। दुर्घटना के समय मृतक को आरोपी के द्वारा प्रत्यक्षतः उतावलेपन का कृत्य किया जाकर अपने वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर टक्कर मारी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, यह बात प्रमाणित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3 व 4 का निष्कर्ष :-

16— दुर्घटना के विषय में साक्षी कार्तिकराम ने कहा है कि मोटरसाइकिल वाले ने मृतक धर्मेन्द्र को टक्कर मारी थी। अभियोजन साक्षी झनकलाल अ.सा.4 ने कहा है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में धर्मेन्द्र की मृत्यु हुई थी। साक्षी जुगलकिशोर अ.सा.5 ने वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 की जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-6 तथा आरोपी डालचंद

की गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-7 की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया है। साक्षी पिलंतीबाई अ.सा.6 ने भी कहा है कि मोटरसाइकिल से धर्मेन्द्र को टक्कर मारी थी। सहायक उपनिरीक्षक सुभाषसिंह अ.सा.9 ने कहा है कि उसने आरोपी डालचंद से मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 साक्षी के समक्ष बनाया था और उस पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी डालचंद से वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को खरीदने बाबद् जानकारी मिली थी और उसने बताया था कि लक्ष्मी गौतम नामक व्यक्ति से वाहन क्रय करना बताया था, इस संबंध में विवेचक द्वारा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण विवेचक द्वारा कराया गया था।

17— अभियोजन साक्षी खेलेन्द्रचंद अ.सा.7 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि उसने मोटरसाइकिल का परीक्षण नहीं किया था, जबकि परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर पूछे जाने पर भी साक्षी ने इंकार किया कि उसने मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 का मैकेनिकल परीक्षण किया था। इस प्रकार विवेचक के अलावा किसी भी अभियोजन साक्षी ने दुर्घटना वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 से होना अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। दुर्घटना के समय वाहन आरोपी डालचंद ही चला रहा था, यह बात भी अभियोजन द्वारा परिश्रित साक्षियों की साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यह बात नहीं मानी जा सकती कि आरोपी बिना लायसेंस के, बिना बीमा के अथवा वाहन अंतरण की सूचना दिए बगैर वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 को चला रहा था। अतः उसे मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 50(ख)/177 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-4121 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार डालचंद पिता बुद्धनलाल नागेश्वर, निवासी-ग्राम कनई, पोस्ट चंदना, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) को सुपुर्दगीनामे पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट